R.M.M. Law College
Saharsa
Amarnath Kumar Trivedi
Part Time Teacher
sub— Evidence
प्रश्न-II

मृत्युकालिक कथन का महत्व। (Dying Declaration)

सामान्य रूप से मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता। वह जो भी कहता है सत्य कहता है। यदि मृत्युकालिक कथन करने वाला व्यक्ति कथन करने के बाद मरता नहीं बल्कि जीवित रह जाता है। तो पुनः अपना बयान न्यायालय में पेश कर सकता है। इस प्रकार के बयान का साक्ष्यिक महत्व होता है। उसके बयान का पुष्टि या खण्डन न्यायालय में किया जा सकता है।

मृत्युकालिक कथन और कार्यवाही के अंतर्गत सच्चा और स्पष्ट होता है। मृतक व्यक्ति की मृत्यु सम्बन्धित परिस्थिति से होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इस बात की कोई व्यवस्था है कि कौन व्यक्ति पुलिस, डाक्टर किया लिखेगा। मजिस्ट्रेट के सामने अपने मृत्युकालिक कथन का रिकार्ड बोल सकता है। आत्महत्या करने की स्थिति सभी बातों का अध्ययन अलग-अलग महत्व माना गया है। न्यायालय सभी बातों को देखेगा।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 32 उपधारा 1 के अधीन मृत्युकालिक कथन सुसंगत साक्ष्य माना गया है। मृत्यु के कारण संव्यवहार की परिस्थितियां मृत्यु के कारण अथवा जिस कारण मृत्यु अवस्था में आयी

(2)

था जहाँ प्रत्यक्षदर्शी के अभिकथन के अभाव में जाँच हुआ कारण उसने बताया कि "रात को किसान का घर से स्टेशन जा रहा था तो रास्ते में "ख" और "ग" मिलकर उसको लाठी से प्रहार किया था कोई आदि से और उसका किया पैसा लूट लिया। लाठी के प्रहार से उसके साथ मृत्युकालिक परिस्थिति पैदा होगया लोगों ने उसे उस परिस्थिति में अस्पताल पहुँचाया जहाँ वह मर गया तो मृत्युकालिक कथन माना जायेगा। अगर वह बच गया तो जीवित अवस्था में वह अपना बयान न्यायालय में देसकता हो इस प्रकार से बयान का साक्षिक महत्व होता है।

कभी कभी राह में चलने वाले एक से अधिक व्यक्ति आपस में झगड़ा कर के लड़ जाते हैं उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जाँच के क्रम में सभी बिन्दु पर अन्वेषण के दौरान बाते आयेगी।

क और ख के परिवार में पुराना वैर चलता रहा है उस पुराने रंजिश के चलते भी मृत्यु कालिन हो सकता है। जो कुरचित तथ्य प्रस्तुत के दौरान परीक्षण के दौरान साक्ष्य आते हैं जो न्यायालय और लोकलों के दौरान देखता है।

अतः इह परिस्थिति होगा जो साक्ष्य को प्रदर्शित करता है।

Scanned with CamScanner